इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ-23-7-2015-सा.-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 6) की धारा 4 के साथ पठित धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक निर्माण विभाग में विकसित की जा रही नीचे दर्शाये पुलों पर, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पुल हेतु अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पुल पर प्रति दिवस प्रति यान आधार पर निम्नलिखित मूल दरों पर पथकर उद्ग्रहीत करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है :—

अनु.क्र.	विवरण	पथकर की मूल दरें दिनांक 1-4-2009 से प्रभावी (6.00 A.M. to 6.00 A.M.) (राशि रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
1.	टेम्पो, टेक्सी, मिनी बस, मेटाडोर, भरा / खाली स्टेशन वैगन या उसके समकक्ष वाहन.	40.00
2.	प्रायवेट कार, जीप, पिकअप	18.00
3.	खाली ट्रक, बस भरी एवं खाली	60.00
4.	ट्रक लोडेड	75.00
5.	मल्टी एक्सल ट्रक ट्रेलर	90.00
6.	अर्थ मूविंग मशीनरी (प्रति टन)	12.00

2. पथकर, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा या उनके अभिकर्ता द्वारा संग्रहित किया जाएगा. प्रत्येक पथकर प्लाजा पर पथकर की दरें, उपरोक्त दरों के आधार पर मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी. पथकर बैरियर की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के अनुसार होगी.

3. उपरोक्त दरें, पुलों के लिए समय-समय पर पुनरीक्षित दरें (टोल पुनरीक्षण समिति) के अनुसार लागू होगा.

4. राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियों के इन पुलों को पार करते समय पथकर के भुगतान में छूट प्राप्त रहेगी :—

1. भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान सरकारी कर्तव्य (ड्यूटी) पर हो.
2. संसद तथा विधान सभा के माननीय सदस्यों के यान.
3. समस्त यान जो भारती सेना के ड्यूटी पर हों.
4. एम्बुलेंस.
5. फायर ब्रिगेड.
6. भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान.
7. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्राली.
8. आटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियां.
9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार.
10. अन्य वाहन जो कि मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत किया गया हो.

टिप्पणी.—पथकर के भुगतान से इस प्रकार छूट प्राप्त यान / वैन का चालक (ड्रायवर) अपना नाम, रैंक तथा कर्तव्य (ड्यूटी) जिसमें वह लगा हुआ है, कथित करेगा.

लोक निर्माण विभाग के लिए चयन किये गये पुल जिन पर कि यह अधिसूचना लागू होगी निम्नानुसार है :—

क्र. (1)	सेतु संभाग का नाम (2)	पुल का नाम (3)	कार्य पूर्णता दिनांक (4)
1.	भोपाल	जिला होशंगाबाद में सूरजपुर लोखरतलाई मार्ग पर मोरन्ड नदी पर नव-निर्मित पुल.	30-06-2013
2.	भोपाल	जिला होशंगाबाद में इटारसी-डोलरिया टिगरिया मार्ग के कि.मी. 25/8 में हथेड नदी पर नव-निर्मित पुल.	30-06-2013
3.	भोपाल	जिला होशंगाबाद में अजनेरी बैगनिया मार्ग पर सूखी नदी पर नव-निर्मित पुल.	31-03-2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ-23-7-2015-सा.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-7-2015-सा.-उन्नीस, दिनांक 18 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रप्रकाश अग्रवाल, सचिव.

Bhopal, the 18th May 2015

No. F-23-7-2015-G-XIX.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VI of 1851) in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government is pleased to grant sanction for levying toll on the following Basis Rates on the bridges shown as below, being developed on M.P.P.W.D., on a per day per vehicle basis with effect from the date of

publication in Govt. Gazette by Government of Madhya Pradesh Public Works Department :—

S.No. (1)	Description (2)	Basic Toll rate effective from 1-4-2009 (6.00 A.M. to 6.00 A.M.) (3)
1.	Tempo, Taxi, Mini Bus, Matador Full/Empty, Station wagon or their nearest.	40.00
2.	Private Car, Jeep Pickup	18.00
3.	Truck empty, Bus Full/Empty	60.00
4.	Truck full	75.00
5.	Multy Excel Truck, Tractor	90.00
6.	Earth Moovie Machinery (Each)	12.00

2. The toll will be collected by M.P.P.W.D. or their agent, selected by Madhya Pradesh, Public Works Department. The rates of toll barrier on each toll will be specified by Madhya Pradesh P.W.D. on the basis of above rates. The physical location of Toll barrier will be as decided by M.P. P.W.D.

3. The above rates will increase from time to time as rates decided by Toll sanction committee of Govt. of M.P.P.W.D.

4. The State Government further declares that following categories of vehicle will be exempted from payment of toll while crossing these roads :—

1. All vehicles belonging to the Government of India, Government of Madhya Pradesh and those of Government duty.
2. Vehicle belonging to the Hon'ble Member of Parliament and Member of Legislative Assembly.
3. All vehicles belonging to the Indian Army on Duty.
4. Ambulances.
5. Fire Brigades.
6. Vehicles belonging to the Indian posts and Telegraph Department.
7. Tractor-Trolleys used for agriculture purpose.
8. Auto Rickshaws, Two wheeler and bullock carts.
9. Freedom fighters and Accredited Journalists.
10. Any other vehicles, Authorized by Govt. of M.P.P.W.D.

Note.—The driver of the vehicle/van so exempted from payment of toll shall State his name, rank and name of duty on which he is engaged.

List of the bridges selected for levying toll tax are as given below :—

Sl.No. (1)	Name of Division (2)	Name of Bridge (3)	Completion date (4)
1.	Bhopal	Morand bridge on Surajpur Lokhartarai road in Hoshangabad District.	30-06-2013
2.	Bhopal	Hathed bridge in K.M. 25/8 on Itarsi Dolariya Tigariya road in Hoshangabad District.	30-06-2013
3.	Bhopal	Sukhi bridge on Ajneri Benganiya road in Hoshangabad District.	31-03-2014

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRA PRAKASH AGRAWAL, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.